सं.49014/5/2019-स्था.(ग)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 13 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) पर समेकित अनुदेश के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने समय-समय पर अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। अब तक जारी तथा वर्तमान में लागू ऐसे सभी अनुदेशों को संदर्भ सुविधा हेतु सरल व्यापक शीर्षकों के तहत समेकित किया गया है तथा इस कार्यालय ज्ञापन के संलग्नक में संलग्न किया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दें।

13/2/2020

(उमेश कुमार भाटिया)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स : 23094471

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

संलग्नक

<u>क. अनियत कामगार (कैजुअल लेबर)</u>

1. नियुक्ति

1.1 दैनिक श्रमिक व्यक्तियों (कैजुअल लेबर) की नियमित प्रवृत्ति के कार्य के लिए भर्ती ना की जाए।

1.2 दैनिक श्रमिकों की भर्ती उसी कार्य के लिए की जानी चाहिए, जो अस्थाई या मीयादी या आकस्मिक प्रकृति का या वह कार्य जो पूर्णकालिक प्रकृति का ना हो जिसके लिए नियमित पदों का सृजन नहीं हो सकता हो।

1.3 वर्तमान में, नियमित कर्मचारियों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्य का आकलन संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा आउटपुट और उत्पादकता के लिए किया जाए ताकि अस्थाई श्रमिकों द्वारा किए जा रहे कार्य को नियमित कर्मचारियों को सौंपा जा सके। विभाग नियमित कार्य के लिए स्टाफ के मापदंड की भी समीक्षा कर सकते हैं और यदि अनिवार्य हो, तो उन्हें संशोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं।

[का.ज्ञा.सं. 49014/2/86-स्था.(ग) दिनांक 07.06.1988]

[का.ज्ञा.सं. 49014/1/2017-स्था.(ग) दिनांक 04.09.19]

1.4 यह देखा गया है कि उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनियत कामगारों की नियुक्ति के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश मौजूद होने के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने **नियमित प्रकृति के कार्य** के लिए अनियत कामगारों को नियुक्त करना जारी रखा है, जो सरकारी नीतियों के विरुद्ध है। अतः, यह पुनः दोहराया जाता है कि सभी मंत्रालय/विभाग अनियत कामगारों की नियुक्ति के संबंध में मौजूद दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के मामले में उपेक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और चूककर्ताओं के विरुद्ध त्वरित और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इसे उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

[का.ज्ञा.सं. 49019/1/95-स्था.(ग) दिनांक 14.06.2016]

2. वेतन/मजदूरी :

2.1 जहां अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) को सौंपे गए कार्य और नियमित कर्मचारियों (रेगुलर एम्पलाई) को सुपुर्द किए गए कार्य की प्रकृति एक जैसी है, वहां अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) को दिन के 8 घंटे के कार्य हेतु संबंधित वेतनमान के न्यूनतम 1/30वें की दर पर वेतन और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।

2.2 उन मामलों में जहां अनियत कामगार (कैजुअल लेबर) द्वारा किए जाने वाला कार्य नियमित कर्मचारी (रेगुलर एम्पलाई) द्वारा किए जाने वाले कार्य से भिन्न है, अनियत कामगार (कैजुअल लेबर) को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन दोनों में से, जो भी उच्च हो, का भुगतान किया जा सकता है। तथापि, यदि कोई विभाग उपरोक्त से उच्च दर पर दैनिक मजदूरी का भुगतान पहले से ही कर रहा है, तो वित्त सलाहकार के अनुमोदन से इसे जारी रखा जा सकता है।

[का.ज्ञा.सं. 49014/2/86-स्था.(ग) दिनांक 07.06.1988] और [का.ज्ञा.सं. 49014/1/2017-स्था.(ग) दिनांक 04.09.19]

3. छुट्टी :

3.1 अनियत कामगारों को 6 दिन के निरंतर कार्य के बाद एक साप्ताहिक वेतनीय अवकाश प्रदान किया जाएगा।

3.2 अनियत कामगारों को सरकार के अधीन एक साप्ताहिक वेतनीय अवकाश सहित उसी दिन का भुगतान किया जाएगा जिस दिन वह वास्तविक कार्य निष्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें राष्ट्रीय अवकाश के लिए भी भुगतान किया जाएगा, यदि वह अनियत कामगारों के कार्य दिवस को होता है।

[का.ज्ञा.सं. 49014/2/86-स्था.(ग) दिनांक 07.06.1988]

3.3 इसी के साथ, यह भी निर्णय लिया गया है कि अनियत कामगारों जो सप्ताह में 5 दिवसीय कार्यालय में कार्य करते हैं उन्हें एक साप्ताहिक वेतनीय अवकाश प्रदान किया जाएगा बशर्ते उन्होंने उस सप्ताह के दौरान न्यूनतम 40 घंटे तक कार्य किया हो।

[का.ज्ञा.सं. 49019/1/95-स्था.(ग) दिनांक 14.06.2016]

<u>ख. 1993 की स्कीम (अस्थायी कामगारों को अस्थायी दर्जा और नियमितीकरण प्रदान करना)</u>

1. पात्रता :

1.1 यह स्कीम इन आदेशों के जारी होने की तारीख से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अनियत कामगारों के रोजगार के लिए लागू होगी। किन्तु यह उन रेल, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में अनियत कामगारों के लिए लागू नहीं होगी जिनकी पहले से ही स्वयं की स्कीमें हैं।

1.2 सभी अनियत कामगारों, जो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख 10.09.1993 को रोजगार में हैं और जिन्होंने लगातार कम से कम 1 वर्ष तक सेवा अर्थात कम से कम 240 दिन तक की अवधि तक नियुक्त रहे हों (सप्ताह में 5 दिवसीय कार्य करने वाले कार्यालयों के लिए 206 दिन) को अस्थाई दर्जा प्रदान की जाएगी।

1.3 अस्थाई दर्जा (टेम्परारी स्टेटस) प्रदान किया जाना नियमित (पूर्व में) समूह 'घ' पदों के सृजन/उपलब्धता के संदर्भ के बिना होगा।

1.4 किसी अनियत कामगार को अस्थायी दर्जा प्रदान किए जाने से उसके कर्तव्यों और दायित्वों में परिवर्तन नहीं होगा। यह नियुक्ति आवश्यकता के आधार पर वेतन की दैनिक दर पर होगी। उसे कार्य की उपलब्धता के आधार पर भर्ती यूनिट/क्षेत्रीय सर्किल में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

1.5 तथापि, ऐसे अनियत कामगार जिन्हें अस्थायी दर्जा प्रदान किया गया है, को तब तक स्थायी स्थापना में नहीं लाया जाएगा, जब तक (पूर्व में) समूह 'घ' पदों के लिए नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा उनका चयन नहीं होता।

[का.ज्ञा.सं. 51016/2/90-स्था.(ग) दिनांक 10.09.1993]

2. लाभ :

2.1 समरूपी नियमित (पूर्व में) समूह 'घ' पदाधिकारी के डीए, एचआरए सहित न्यूनतम वेतन मान समान दैनिक दर पर मजदूरी।

2.2 अस्थाई दर्जा प्रदान किए जाने की तारीख से वर्ष में कम से कम 240 दिनों (सप्ताह में 5 दिवसीय प्रशासनिक कार्यालय के लिए 206 दिन) के कार्य-निष्पादन के अध्यधीन प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा के लिए मजदूरी दर की गणना करने के लिए किसी समूह 'घ' (पूर्व में) कर्मचारी के लिए लागू दर के समान वेतन वृद्धि लाभ की गणना की जाएगी।

2.3 छुट्टी की हकदारी प्रत्येक 10 दिवस के कार्य के लिए 1 दिन की दर पर यथानुपात आधार पर होगी। प्रसूति अवकाश के सिवाय, अनियत या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्हें उनके नियमितीकरण पर उनके खाते में छुट्टी को अग्रेनीत करने की भी अनुमति होगी। वे किसी भी कारण से सेवा-समाप्ति या उनके द्वारा सेवा छोड़ने पर छुट्टियों के नकदीकरण के हकदार नहीं होंगे।

2.4 महिला अनियत कामगारों को नियमित (पूर्व में) समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए यथास्वीकार्य प्रसूति अवकाश की अनुमति होगी।

2.5 अस्थायी आधार पर की गई 50% सेवा की उनके नियमितीकरण के पश्चात सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

2.6 अस्थाई स्थिति प्रदान किए जाने के उपरांत 3 वर्ष की निरंतर सेवा देने के पश्चात, अनियत कामगारों को सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने के उद्देश्य से अस्थाई (पूर्व में) समूह 'घ' कर्मचारियों के समान माना जाएगा और साथ ही वे अस्थायी (पूर्व में) समूह 'घ' कर्मचारियों की यथास्वीकार्य शर्तों पर उत्सव अग्रिम/बाढ़ अग्रिम प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अपने विभाग के स्थाई सरकारी कर्मचारियों से दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करें।

2.7 नियमित होने तक वे केवल अनियत कामगारों के लिए यथास्वीकार्य दरों पर ही उत्पादकता से जुड़े बोनस/तदर्थ बोनस के हकदार होंगे।

2.8 अस्थायी दर्जा प्राप्त अनियत कामगारों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट लाभों के अलावा, कोई अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

[का.ज्ञा.सं. 51016/2/90-स्था.(ग) दिनांक 10.09.1993]

3. नियमितीकरण के लिए शर्तें

3.1 ऐसे संबंधित कार्यालयों जहां अनियत कामगार कार्यरत हैं, में समूह 'घ' (पूर्व में) (अब समूह 'ग') संवर्गों में प्रत्येक तीन रिक्तियों में से 2 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार मौजूदा भर्ती नियमों द्वारा अस्थायी दर्जा के अनियत कामगारों में से भरा जाएगा। तथापि, मौजूदा/ आगामी रिक्तियों के प्रति किसी भी कारण से अधिशेष हुए नियमित समूह 'घ' (पहले) कर्मचारियों के पास आमेलित किए जाने का पूर्व दावा होगा। कैजुअल लेबर-टेम्पररी स्टेटस को अनियत कामगार के रूप में निरंतर सेवा करने की अवधि के बराबर की अवधि की आयु में छूट की अनुमति होगी।

[का.ज्ञा.सं. 51016/2/90-स्था.(ग) दिनांक 10.09.1993]

3.2 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति का अनुसरण करते हुए सभी समूह घ पदों को समूह ग पदों के रूप में उन्नयन कर दिया गया था। पूर्ववर्ती समूह 'घ' पद जिन्हें समूह 'ग' वेतन बैण्ड-1, ग्रेड वेतन 1800/- (मल्टी टास्किंग स्टॉफ के रूप में गैर-तकनीकी) में डाल दिया गया है, के लिए भर्ती अब केवल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है तथा नियुक्ति हेतु-न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रीकुलेशन अथवा आईटीआई उत्तीर्ण है। इसलिए कैजुअल लेबर-टेम्पररी स्टेटस का नियमतीकरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं नहीं किया जा सकता है और इसके लिए दिनांक 10.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन की परिशिष्ट के पैरा 8 में व्यय विभाग की सहमति से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा छूट लेने की आवश्यकता होती है।

[दिनांक 16.10.2014 का का.ज्ञा.सं. 49014/3/2014-स्था.(ग)]

4. 1993 की स्कीम से संबंधित स्पष्टीकरणः

4.1

क्र.सं.		
1.	क्या ऐसे अनियमित अधिकारी अस्थायी दर्जा के लाभ के हकदार हैं, जिन्हें आरंभ में रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था।	चूंकि अनियमित कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त करना अनिवार्य है, इसलिए संगत भर्ती नियमों में निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता संबंधी रोजगार कार्यालय के बिना अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित है। अतएव, ऐसे अनियमित कर्मचारियों को अस्थायी दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है।

2.	क्या अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों को अनियमित प्रास्थिति प्रदान की जा सकती है।	नहीं
3.	क्या ऐसे अनियमित कर्मचारी अस्थायी दर्जा प्रदान किए जाने के हकदार होंगे जिन्हें आरंभ में समूह 'घ' के लिए भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा पूरी कर लेने के बाद आरंभ में नियुक्त किया गया था।	अस्थायी दर्जा प्रदान करने हेतु कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, उत्तरवर्ती नियमितीकरण के प्रयोजनार्थ आयु एवं शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित शर्तें लागू होंगी।
4.	क्या अस्थायी कर्मचारियों के वेतन स्थापना के वेतन उप-शीर्ष अथवा आकस्मिक उप-शीर्ष से प्रदान किए जाएंगे?	चूंकि अस्थायी दर्जा प्रदान किए जाने के पश्चात् अनियमित कर्मचारी वास्तविक आधार पर वेतन के हकदार होंगे, इसलिए, उनके वेतन 'वेतन' (वेजेज) उप-शीर्ष से प्रदान किए जाएंगे।
5.	छुट्टी की हकदारी के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ अर्हक अवधि की गणना कैसे की जाएगी?	अर्हक अवधि की गणना, साप्ताहिक अनुपस्थिति आदि छुट्टी अवकाश को छोड़कर उन कार्य दिवसों के संदर्भ में की जाएगी जितने दिन कार्य किया गया है। ऐसी अनुपस्थिति की बीच की अवधियों को छोड़कर जिससे सेवा में अंतराल नहीं होता है, सभी कार्य दिवसों की गणना की जाएगी।
6.	छुट्टी प्रदान किए जाने की बारंबारता। एक वर्ष में दो (02) बार।	1 जनवरी और 1 जुलाई को आगामी अधि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रत्येक 10 कार्य दिवसे के लिए एक (01) दिन की दर पर यथाअनुपात प्रदान की जाएगी।

[दिनांक 12.07.1994 का का.ज्ञा.सं. 49014/3/93-स्था. (ग)]

4.2 भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहनपाल के मामले में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं.2224/2000 की सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि :- "10.09.1993 की स्कीम एक सतत स्कीम नहीं है और उस स्कीम के अंतर्गत अनियत कर्मचारियों को अस्थायी दर्जा स्कीम के उप-खंड 4 में विहित शर्तों को पूरा करने पर ही प्रदान की जा सकती है नामतः, स्कीम शुरू होने की तारीख पर उन्हें नियोजन में अनियत कर्मचारी होना चाहिए और उन्होंने कम से कम एक वर्ष की सतत सेवा प्रदान की हो अर्थात् एक वर्ष में कम से कम 240 दिन अथवा 206 दिन (एक सप्ताह में 5 कार्यदिवस वाले कार्यालयों की स्थिति में)।" यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों को हमारे निर्णय के अनुपालन में 'अस्थायी' दर्जा से वंचित नहीं किया जाएगा जिन्हें इस अवधारणा पर 'अस्थायी' दर्जा पहले ही प्रदान कर दी गई है कि यह एक सतत स्कीम है। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि क्या ऐसे अनियत कर्मचारियों की उप-खंड 7 के अनुसार 'अस्थायी' दर्जा खत्म की जा सकती हैं, जिन्हें 'अस्थायी' दर्जा प्रदान की गई थी और क्योंकि वे नियमित अनियत कर्मचारी थे और यह टिप्पणी की है कि-"ऐसे अनियत कर्मचारी, जिन्हें अस्थायी दर्जा प्राप्त हो, को केवल नियोक्ता की इच्छाओं पर हटाया नहीं जा सकता। यदि

पर्याप्त कार्य है और कार्य को करने के लिए नियोक्त द्वारा अन्य अनियत कर्मचारियों को अभी नियुक्त किया जाना है, तो ऐसे अनियत कर्मचारियों को स्कीम के उप-खंड 7 के अनुसार सेवा से हटाया नहीं जाएगा जिन्होंने 'अस्थायी' दर्जा प्राप्त कर ली है यदि गंभीर कदाचार और सेवा नियमों का उल्लंघन होता है, तो नियोक्ता के पास किसी ऐसे अनियत कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा जिसने 'अस्थायी' दर्जा प्राप्त की थी।"

[दिनांक 06.06.2002 का का.ज्ञा.सं. 40011/6/2002-स्था.(ग)]

<u>ग. अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों का अस्थायीकरण (उमा देवी निर्णय के आलोक में)</u>

1. सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य में सिविल अपील सं. 3595-3612/1999 आदि में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस बात को दोहराया था कि कोई भी लोक नियुक्ति संवैधानिक स्कीम के अनुसार होनी चाहिए। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.04.2006 के पूर्वोक्त फैसले के पैरा 44 में निदेशित किया था कि भारत संघ, राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ कार्यालयों को अनियमित रूप से नियुक्ति कए गए कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने के लिए **एकबारगी उपाय** के रूप में कदम उठाने चाहिए जो पद हेतु सांविधिक भर्ती नियमों के अनुसार विधिवत अर्हक व्यक्ति हैं और जिन्होंने विधिवत् संस्वीकृत पदों पर न कि न्यायालयों अथवा अधिकरणों के आदेशों के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कार्य किया है। शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी नियुक्तियां नियमों अथवा संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करती हैं, तो अवैधता को स्थायी नहीं किया जा सकता है।

[दिनांक 11.12.2006 का का.ज्ञा.सं. 49019/1/2006-स्था.(ग)]

टिप्पणी: उमा देवी निर्णय के आलोक में नियमितीकरण और 1993 की स्कीम दोनों एकबारगी उपाय हैं और उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनियत कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु कोई अन्य स्कीम/अनुदेश जारी नहीं किया है।

घ: 1993 की योजना के अंतर्गत अस्थायी दर्जा (सीएल-टीएस) वाले अनियत श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ।

1. भत्ता/छुट्टी लाभ:

1.1 डीओपीटी के का.ज्ञा.सं.49014/3/97-स्था.(ग) दिनांक 01.08.1998 के माध्यम से परिवहन भत्ते का लाभ अस्थायी दर्जा वाले अनियत श्रमिकों को दिया गया था। अस्थायी दर्जा प्राप्त दिव्यांग अनियत श्रमिक सामान्य दर से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ते के हकदार थे, जो वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.08.78 के का.ज्ञा. सं. 19029/1/78-ई-IV में उल्लिखित नियम और शर्तों के अध्यधीन है।

[का.ज्ञा. सं.49014/2/2008-स्था. (ग) दिनांक 04.08.2008]

1.2 यह स्पष्ट किया गया था कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के मामले के समान कुल छुट्टी के दिनों की संख्या जमा करने की सीमा 300 दिन होगी। दूसरे शब्दों में (CL-TS) केवल अधिकतम 300 दिनों तक छुट्टी जमा कर सकता है।

[का.ज्ञा. सं.49014/3/2007-स्था. (ग) दिनांक 18.10.2007]

1.3 नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य पितृत्व अवकाश अस्थायी दर्जा वाले अनियत श्रमिकों को भी दिया गया था और जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें उनकी पत्नी के पूर्ण आराम के दौरान 15 दिन की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है। इस तरह की छुट्टी पर रहने की अवधि के दौरान वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो वह छुट्टी पर जाने से पूर्व आहरित कर रहा था।

1.4 पितृत्व अवकाश को छुट्टी के खाते से घटाया नहीं जा सकता और "भारत सरकार की अनियत श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) स्कीम, 1993" के तहत अनियत कर्मचारियों को स्वीकार्य यथा-अनुपात अर्जित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

[का.ज्ञा. सं. 49014/1/98-स्था. (ग) दिनांक 01.04.1998]

1.5. दैनिक कर्मचारी जिनको अस्थायी दर्जा दिया गया है, वे अपनी दैनिक मजदूरी दरों की गणना के लिए परिवहन भत्ते के हकदार थे।

[का.ज्ञा. सं. 49014/3/97-स्था. (ग) दिनांक 01.04.1998]

2. जीपीएफ और पेंशन लाभ :

2.1 वे अनियत श्रमिक जिन्हें इस स्कीम के तहत अस्थायी दर्जा दिया गया था, और उसके बाद 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, वे सामान्य भविष्य निधि में योगदान करने के हकदार थे। यह भी निर्णय लिया गया कि अस्थायी दर्जे के तहत प्रदान की जाने वाली सेवा का 50 प्रतिशत ऐसे अनियत श्रमिकों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ के उद्देश्य से गिना जाएगा जिन्हें दिनांक 10.09.1993 के का.ज्ञा. के पैरा 8 के अनुसार नियमित किया गया है। यह 1993 की योजना के अंतर्गत आने वाले उन सभी अनियत श्रमिकों पर लागू था जिन्हें 31.12.2003 से पहले या बाद में नियमित किया गया था।

2.2. इन अनियत श्रमिकों के जीपीएफ खाते से एनपीएस खाते में पड़ी राशि के हस्तांतरण के तौर-तरीकों के बारे में महालेखानियंत्रक (सीजीए) ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है:

(i) ***खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन:*** राशि वैयक्तिक जीपीएफ खाते में जमा की जा सकती है *और खाते को अप-टू-डेट ब्याज (जीपीएफ नियमावली का प्राधिकरण-एफआर-16 और नियम 11)* की अनुमति रिकास्ट की जा सकती है।

(ii) ***खातों में एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान का समायोजन:-*** *वस्तु शीर्ष-70 मुख्य शीर्ष-2071 के अंतर्गत कटौती की वसूली पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-लघु शीर्ष-911 अधिक भुगतानों की कटौती-वसूली (मुख्य और लघु-शीर्ष-सूची की जीएआर 35 और 3.10)* (-) डॉ के रूप में गणना किए जाने हेतु।

(iii) ***निवेश अभिमूल्यन के कारण सदस्यता के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन-*** *एमएच 0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान 800-अन्य प्राप्तियां (एलएमएमएचए में उक्त शीर्ष के अंतर्गत नोट) के अंतर्गत सरकारी खाते में राशि क्रेडिट करने के माध्यम से गणना की जा सकती है।*

2.3. यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने किसी भी स्तर पर एनपीएस में योगदान दिया था, को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाना है, तो पूरा एनपीएस संचय यानी कर्मचारी का योगदान + सरकार का अनुकूल योगदान + उस पर अभिमूल्यन संबंधित पीएओ के मान्यता प्राप्त बैंक में प्रेषित किया जाना चाहिए।

[का.ज्ञा. सं. 49014/2/2014-स्था. (ग)-पीटी-1 दिनांक 11.10.2018],
[का.ज्ञा. सं. 49014/2/2014-स्था. (ग) दिनांक 28.07.2016] और
[का.ज्ञा. सं. 49014/2/2014-स्था. (ग) दिनांक 26.02.2016]

3. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन/मजदूरी:

भारत सरकार की अधिसूचना 25 जुलाई, 2016 के अनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अस्थायी दर्जा वाले अनियत श्रमिकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के अनुसार समूह 'ग' के वेतनमान के आधार पर कार्यान्वित और सरकार द्वारा अनुमोदित बशर्ते वे मैट्रिकुलेट हो, अनियत श्रमिक (अस्थायी स्थिति एवं नियमितीकरण का अनुदान) योजना के प्रावधानों के अनुसार 01.01-2016 से उनकी मजदूरी प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार गैर-मैट्रिकुलेट अनियत श्रमिकों को अस्थायी स्थिति के साथ रखे जाने के मामले में पूर्व उल्लिखित मजदूरी का लाभ दिनांक 01.01.2016 से वित मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 1/1/2008-आईसी दिनांक 24.12.2008 में दर्शाये गए प्रावधानों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात ही दिया जा सकता है।

[का.ज्ञा. सं. 49011/2/2017-स्था. (ग) दिनांक 19.02.2018]

****